




GS WORLD

एक ऐसा संस्थान जो अपनी गुणवत्ता के लिए जाना जाता है...



01-15 Mar., 2019



DELHI CENTRE

629, Ground Floor, Main Road,
Dr. Mukherjee Nagar, Delhi-09
Ph.: 7042772062/63, 9868365322

ALLAHABAD CENTRE

GS World House, Stainly Road,
Near Traffic Choraha, Allahabad
Ph.: 0532-2266079, 8726027579

LUCKNOW CENTRE

A-7, Sector-J, Puraniya Chauraha
Ailiganj, Lucknow
Ph.: 0522-4003197, 8756450894

1-15 मार्च, 2019

भारत और विश्व बैंक समझौता

PIB, (5 Mar.)

संबंधित मंत्रालय – वित्त मंत्रालय
संबंधित मंत्री – अरुण जेटली

संदर्भ

- हाल ही में उत्तराखण्ड आपदा रिकवरी परियोजना के लिए 96 मिलियन अमेरिकी डॉलर की अतिरिक्त वित्तीय सहायता के लिए केंद्र सरकार, उत्तराखण्ड सरकार और विश्व बैंक के बीच एक त्रिपक्षीय ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किया गया है।
- ऋण समझौता उत्तराखण्ड को आपदा के बाद रिकवरी से संबंधित योजनाओं में अतिरिक्त धनराशि प्रदान करेगा, जो 2013 की बाढ़ के बाद से चल रही है।
- इस समझौते से आपदा जोखिम प्रबंधन के लिए राज्य की क्षमता भी मजबूत होगी।



मुख्य विशेषताएं

- 96 मिलियन डॉलर का अतिरिक्त वित्त पोषण पुल, सड़क और नदी तट संरक्षण कार्यों के पुनर्निर्माण में मद्दत करेगा।
- इसमें राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल (एसडीआरएफ) के लिए प्रशिक्षण सुविधा का निर्माण शामिल है।
- परियोजना राज्य की तकनीकी क्षमता बढ़ाने में मद्दत करेगी ताकि भविष्य में इस तरह के संकटों से तुरंत और अधिक प्रभावी ढंग से निपटा जा सके।
- इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट (IBRD) से 96 मिलियन डॉलर का ऋण, पाँच वर्ष की अनुग्रह अवधि और 15 वर्ष की अंतिम परिपक्वता है।

उत्तराखण्ड आपदा रिकवरी परियोजना

- जून, 2013 में, अत्यंत भारी मूसलाधार बारिश उत्तराखण्ड में विनाशकारी बाढ़ और भूस्खलन का कारण बनी थी।

- वर्ष 2003 की सुनामी के बाद से यह आपदा सबसे भीषण थी। इस आपदा ने उत्तराखण्ड के 4200 से अधिक गाँवों को नुकसान पहुंचाया, तहत जिसमें 4,000 से अधिक लोगों की मौत हो गई थी।
- इस आपदा से हुए नुकसान की रिकवरी हेतु उत्तराखण्ड आपदा रिकवरी परियोजना आरंभ की गई है।
- वर्ष 2013 से उत्तराखण्ड आपदा रिकवरी परियोजना के तहत इस क्षेत्र में महत्वपूर्ण निर्माण कार्य कर रहा है।
- विश्व बैंक आवास और ग्रामीण कनेक्टिविटी को बहाल करने और उत्तराखण्ड आपदा रिकवरी परियोजना के माध्यम से समुदायों की सहायता करने के लिए 2014 से उत्तराखण्ड सरकार का समर्थन कर रहा है।


भारत और ऑस्ट्रिया के बीच समझौता

PIB, (7 Mar.)

संबंधित मंत्रालय – विदेश मंत्रालय
संबंधित मंत्री – सुषमा स्वराज

संदर्भ

- हाल ही में प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने सड़क आधारभूत संरचना के क्षेत्र में तकनीकी सहयोग के लिए भारत सरकार के केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय तथा ऑस्ट्रिया के परिवहन, नवाचार और तकनीकी मंत्रालय के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर को मंजूरी दे दी है।



प्रभाव

- इस समझौता ज्ञापन के जरिए दोनों देशों के बीच सड़क परिवहन, सड़क/राजमार्ग आधारभूत संरचना विकास, प्रबंधन और प्रशासन तथा सड़क सुरक्षा और आधुनिक परिवहन प्रणाली के लिए द्विपक्षीय सहयोग की एक प्रभावी रूपरेखा तैयार की जा सकेगी।
- इससे भारत और ऑस्ट्रिया के बीच लंबे समय से चले आ रहे मजबूत द्विपक्षीय संबंध और प्रगाढ़ हो सकेंगे। इसके अलावा दोनों देशों के बीच आपसी व्यापार और क्षेत्रीय निकटता भी बढ़ेगी।

लाभ

- भारत और ऑस्ट्रिया के बीच सड़क परिवहन क्षेत्र में द्विपक्षीय सहयोग बढ़ने से सड़क सुरक्षा तथा इस क्षेत्र में बड़े पैमाने पर निवेश आकर्षित करने की संभावनाओं को बल मिलेगा।
- परिवहन क्षेत्र में सहयोग बढ़ने से इससे दोनों देशों के बीच पहले से बने मजबूत संबंध और प्रगाढ़ हो सकेंगे।

पृष्ठभूमि

- भारत और ऑस्ट्रिया के बीच 1949 में राजनयिक संबंध बने थे जो समय के साथ लगातार मजबूत हुए हैं। दोनों देश मैत्रीपूर्ण आर्थिक और राजनयिक संबंधों को साझा करते हैं।
- सड़क और राजमार्ग तकनीक के मामले में ऑस्ट्रिया काफी विकसित है।
- खासतौर से इलेक्ट्रॉनिक टोल प्रणाली, अत्याधुनिक परिवहन व्यवस्था, यातायात प्रबंधन प्रणाली, भूमिगत मार्ग निगरानी व्यवस्था, भू-मानचित्र तथा भूस्खलन सुरक्षा के क्षेत्र में ऑस्ट्रिया के पास बेहद उन्नत तकनीक मौजूद है।

कीरू पनबिजली परियोजना

PIB, (7 Mar.)

संबंधित मंत्रालय – विद्युत मंत्रालय
संबंधित मंत्री – आर.के. सिंह (स्वतंत्र प्रभार)

संदर्भ

- प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों पर कैबिनेट समिति (Cabinet Committee on Economic Affairs-CCEA) ने जम्मू-कश्मीर में मैसर्स चिनाब वैली पॉवर प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड (M/s Chenab Valley Power Projects Private Limited-M/s CVPPPL) को कीरू पनबिजली परियोजना (624 मेगावाट) के निर्माण के लिये निवेश करने की मंजूरी दे दी है।



योजना परिव्यय

- यह परियोजना 4287.59 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत (जुलाई, 2018 के मूल्य स्तर पर) से कार्यान्वित की जाएगी।
- इसमें 426.16 करोड़ रुपए के विदेशी घटक (Foreign Component-FC) एवं निर्माण के दौरान ब्याज (Interest During Construction-IDC) के साथ-साथ कीरू पनबिजली परियोजना (Kiru Hydro Electric Project) के निर्माण के लिये मैसर्स CVPPPL में NHPC द्वारा लगाई जाने वाली 630.28 करोड़ रुपए की इक्विटी भी शामिल है।
- इसमें पकल डल परियोजना (Pakal Dul HE Project) के कार्यान्वयन के लिये मंजूरी देते वक्त कैबिनेट द्वारा पहले से ही निर्माण पूर्व गतिविधियों के लिये स्वीकृत 70 करोड़ रुपए की राशि भी शामिल है।

मैसर्स चिनाब वैली पॉवर प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड (M/s CVPPPL)

- मैसर्स CVPPPL दरअसल NHPC, जम्मू-कश्मीर राज्य विद्युत विकास निगम (Jammu - Kashmir State Power Development Corporation-JKSPDC) और PTC की एक संयुक्त उद्यम कंपनी है जिनकी इक्विटी शेयर भागिता क्रमशः 49%, 49% एवं 2% है।



परियोजना के बारे में

- यह परियोजना जम्मू-कश्मीर के किश्तवार जिले में चिनाब नदी पर अवस्थित है।
- इसमें सबसे गहरे नींव स्तर के ऊपर 135 मीटर ऊँचे कंक्रीट ग्रैविटी डैम (Concrete Gravity Dam), 4 सर्कुलर, 5.5 मीटर के आंतरिक व्यास एवं 316 से लेकर 322 मीटर तक की लंबाई वाले प्रेशर शाफ्ट, एक भूमिगत बिजलीघर (Underground Power House) और 7 मीटर व्यास व 165 से लेकर 190 मीटर तक की लंबाई तथा घोड़े की नाल के आकार वाली 4 टेल रेस सुरंगों (Tail Race Tunnel) का निर्माण करना शामिल है।
- इस परियोजना से उत्तरी ग्रिड को आवश्यक बिजली सुलभ होगी।

और इसके साथ ही जम्मू-कश्मीर के दूर-दराज के क्षेत्रों के विकास की प्रक्रिया में तेजी आएगी। यह परियोजना साढ़े चार वर्षों में पूरी की जाएगी।

- कीरू पनविजली परियोजना की परिकल्पना एक 'रन ऑफ रिवर (Run of River-RoR) योजना' - यानी 'जल भंडारण के बागेर योजना' के रूप में की गई है।
- इसकी डिजाइनिंग कुछ इस तरह से की गई है जिससे 624 मेगावाट की स्थापित क्षमता वाली यह परियोजना सिंधु जल संधि 1960 (Indus Water Treaty 1960) की जरूरतों को पूरा करती है।

पृष्ठभूमि

- इस परियोजना की आधारशिला 3 फरवरी, 2019 को रखी गई थी।
- जम्मू-कश्मीर की सरकार ने टोल टैक्स तथा राज्य वस्तु एवं सेवा कर (State Goods and Service Tax-SGST) के भुगतान से पहले ही छूट देने और इसमें निरंतर कमी करते हुए मुफ्त बिजली देने के साथ-साथ इसके वाणिज्यिक परिचालन की तिथि से लेकर अगले 10 वर्षों की अवधि तक जल उपयोग प्रभार की अदायगी से भी छूट दी है।

ई-धरती ऐप

PIB, (7 Mar.)

संबंधित मंत्रालय – आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय
संबंधित मंत्री – श्री हरदीप एस पुरी, राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

संदर्भ

- केन्द्रीय आवास तथा शहरी मामलों के मंत्री हरदीप पुरी ने हाल ही में ई-धरती ऐप तथा ई-धरती जिओ पोर्टल लांच किया।
- इससे लोगों को संपत्ति की सरलता से जानकारी प्राप्त होगी तथा सरकार को इसकी संपत्तियों के कुशल प्रबंधन में भी सहायता मिलेगी।

ई-धरती ऐप

- ई-धरती ऐप में तीन मोड़चूल हैं - रूपांतरण, प्रतिस्थापन तथा नामांतरण।



- भूमि व विकास कार्यालय में भुगतान प्रणाली को पूर्ण रूप से डिजिटलाइज कर दिया गया है।
- इस ऐप के माध्यम से लोग अपने आवेदन आँनलाइन भूमि व विकास कार्यालय को भेज सकते हैं। इसके पश्चात् अब भूमि व विकास कार्यालय में जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी।

ई-धरती जिओ पोर्टल

- ई-धरती जिओ पोर्टल के माध्यम से भूमि को पट्टे पर लेने वाला व्यक्ति संपत्ति की आधारभूत जानकारी तथा मानचित्र पर इसकी लोकेशन देख सकता है।
- मांग करने वाले भूमि को पट्टे पर लेने वाले व्यक्ति को सम्बंधित भूमि का "संपत्ति प्रमाण पत्र" प्रदान किया जा सकता है।
- ई-धरती जिओ पोर्टल से सरकार को भी अपनी खाली संपत्ति की जानकारी मिलेगी और यह भी पता चल सकेगा कि सरकारी संपत्ति पर किसी किस्म का अवैध कब्जा तो नहीं है।
- सरकार तीन अन्य मोड़चूल - विक्रय अनुमति, गिरवी रखने के लिए अनुमति तथा उपहार अनुमति के डिजिटलीकरण पर भी कार्य कर रही है। डिजिटलीकरण के पूरा हो जाने पर संपत्ति से सम्बंधित कार्य काफी कुशल व पारदर्शी हो जायेगा।

बाँध पुनर्वास तथा सुधार परियोजना के लिए ऋण समझौता

PIB, (8 Mar.)

संबंधित मंत्रालय – वित्त मंत्रालय
संबंधित मंत्री – अरुण जेटली

संदर्भ

- हाल ही में भारत सरकार, विश्व बैंक और पाँच राज्यों के प्रतिनिधियों ने आज नई दिल्ली में बाँध पुनर्वास एवं सुधार परियोजना (डीआरआईपी) हेतु 137 मिलियन अमरीकी डॉलर के अतिरिक्त वित्तयोषण के लिए ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए। इससे केरल, मध्य प्रदेश, ओडिशा, तमिलनाडु और उत्तराखण्ड राज्यों में 220 से अधिक चुनिंदा बड़े बाँधों के आधुनिकीकरण और पुनर्वास में मद्द मिलेगी।

बाँध पुनर्वास तथा सुधार परियोजना

- केन्द्रीय जल संसाधन, नदी विकास तथा गंगा पुनर्जीवन मंत्रालय ने केन्द्रीय जल आयोग के द्वारा 2012 में 6 वर्षीय बाँध पुनर्वास तथा सुधार परियोजना की शुरुआत की थी।
- इसके लिए विश्व बैंक ने 2100 करोड़ रुपये (437.5 मिलियन डॉलर) जारी किये थे। इस परियोजना का उद्देश्य बाँधों की सुरक्षा तथा ऑपरेशनल परफॉरमेंस इत्यादि को मजबूत बनाना था।
- भारत में मानसून में काफी कम समय में काफी अधिक वर्षा होती है, इसलिए इस वर्षा जल का भण्डारण करना अति आवश्यक है।



- इस भंडारित जल का उपयोग सिंचाई तथा पेयजल के लिए किया जा सकता है। जल भण्डारण के इस अति महत्वपूर्ण कार्य में बाँध की भूमिका काफी अधिक है।
- यह ग्रामीण विकास तथा कृषि के लिए जरूरी है।
- इन बाँधों से देश में लाखों लोगों को लाभ मिलता है। इसलिए इन बाँधों का उचित रखरखाव तथा सशक्तिकरण भी जरूरी है।

CBC रिपोर्ट

PIB, (15 Mar.)

संबंधित मंत्रालय – वित्त मंत्रालय
संबंधित मंत्री – अरुण जेटली

संदर्भ

- हाल ही में भारत और अमेरिका ने कंट्री-बाइ-कंट्री रिपोर्टों के आदान-प्रदान के लिए एक अंतर-सरकारी समझौते पर हस्ताक्षर किये हैं।
- इसका उद्देश्य यह व्यवस्था करना है कि सभी कर अधिकारियों के पास किसी बहु-राष्ट्रीय कम्पनी के विषय में एक ही प्रकार की सूचना उपलब्ध हो सके।
- इसका मकसद सीमा पार कर चोरी पर भी अंकुश लगाना है।

लाभ

- इससे दोनों देश एक जनवरी, 2016 को या उसके बाद शुरू होने वाले वित्तीय वर्षों के संबंधित अधिकार क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय समूहों की अंतिम मूल संस्थाओं द्वारा दाखिल सीबीसी रिपोर्ट का आदान-प्रदान करने में सक्षम होंगे।

- परिणामस्वरूप अमेरिका में मुख्यालय वाले अंतर्राष्ट्रीय समूहों की वे भारतीय संघटक संस्थाएं, जिन्होंने अपनी सीबीसी रिपोर्ट पहले ही अमेरिका में दाखिल कर दी हैं, उन्हें भारत में अपने अंतर्राष्ट्रीय समूहों की सीबीसी रिपोर्ट स्थानीय रूप से दाखिल करने की आवश्यकता नहीं होगी।
- भारत सीबीसी रिपोर्टों के आदान-प्रदान के लिए बहुपक्षीय सक्षम प्राधिकरण समझौते (एमसीएए) पर पहले ही हस्ताक्षर कर चुका है, जिससे 62 क्षेत्राधिकारों के साथ सीबीसी रिपोर्टों का आदान-प्रदान करना संभव हो गया है।



क्या है?

- कंट्री-बाइ-कंट्री रिपोर्टिंग बहुराष्ट्रीय उद्यमों (MNEs) को सालाना रिपोर्ट करने के लिए और प्रत्येक कर क्षेत्र के लिए एक खाका प्रदान करती है। इसमें वे व्यापार की जानकारी साझा करते हैं। इसी रिपोर्ट को Country-by-Country (CbC) रिपोर्ट कहा जाता है।
- सीबीसी रिपोर्ट में किसी भी एमएनई समूह की आय के वैश्विक आवंटन, अदा किए गए करों और कुछ अन्य संकेतकों से संबंधित देश-दर-देश सूचनाओं का सकलन किया गया है।
- किसी एक वर्ष में 750 मिलियन यूरो (अथवा काई समतुल्य स्थानीय मुद्रा) अथवा उससे अधिक का वैश्विक समेकित राजस्व अर्जित करने वाले एमएनई समूहों के लिए अपने जनक निकाय के क्षेत्राधिकार में सीबीसी रिपोर्टों को दाखिल करना आवश्यक है। भारतीय मुद्रा रूपये में 750 मिलियन यूरो की समतुल्य राशि को भारतीय नियमों के तहत 5500 करोड़ रूपये के रूप में निर्दिष्ट किया गया है।

संबंधित प्रश्न (प्रारंभिक परीक्षा)

1. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-

1. हाल ही में उत्तराखण्ड आपदा रिकवरी परियोजना के लिए 96 मिलियन अमेरिकी डॉलर की अतिरिक्त वित्तीय सहायता के लिए केन्द्र सरकार, उत्तराखण्ड सरकार और विश्व बैंक के बीच एक त्रिपक्षीय ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किये

गये हैं।

2. इस परियोजना से राज्य की तकनीकी क्षमता बढ़ाने में मद्द मिलेगी, जिससे भविष्य में इस तरह के संकटों से तुरंत और अधिक प्रभावी ढंग से निपटा जा सकेगा। उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सत्य है/हैं?



PIB PICTURE



2. हाल ही में भारत और ऑस्ट्रिया के बीच समझौते के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-

 1. सड़क आधारभूत संरचना के क्षेत्र में तकनीकि सहयोग के लिए दोनों देशों के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर को मंजूरी प्रदान की गई।
 2. सड़क और राजमार्ग तकनीक के मामले में ऑस्ट्रिया काफी विकसित है, खासतौर से इलेक्ट्रॉनिक टोल प्रणाली अत्याधुनिक परिवहन व्यवस्था, यातायात प्रबंधन प्रणाली तथा भूस्खलन सुरक्षा के क्षेत्र में।
उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन असत्य है/हैं?
(a) केवल 1 (b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों (d) न तो 1, न ही 2
 3. हाल ही चर्चा में रही 'कीरू पनबिजली परियोजना' के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-
 1. यह परियोजना जम्मू-कश्मीर के किश्तवार जिले में चिनाब नदी पर अवस्थित है।
 2. इस परियोजना की परिकल्पना एक 'रन ऑफ रिवर योजना' यानी जल भंडारण के बगैर योजना के रूप में की गई है।
 3. 624MW की स्थापित क्षमता वाली यह परियोजना सिंधु जल संधि 1960 की जरूरतों को पूरा करती है।
उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सत्य है/हैं?
(a) 1 और 2 (b) 2 और 3
(c) 1, 2 और 3 (d) सभी कथन असत्य हैं?
 4. 'ई-धरती ऐप' के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-
 1. इस ऐप के माध्यम से भूमि व विकास कार्यलय में भुगतान प्रणाली को पूर्ण रूप से डिजिटलाइज कर दिया गया है।
 2. ऐप में तीन मॉड्यूल हैं- रूपांतरण, प्रतिस्थापन तथा नामांतरण
 3. इस ऐप के द्वारा धरती की खूबसूरती को मोबाइल पर देखा जा सकता है।
उपर्युक्त में से कौन-से कथन सत्य हैं?
(a) 1 और 2 (b) 2 और 3
(c) 1 और 3 (d) उपर्युक्त में से कोई नहीं

'बाँध पुनर्वास तथा सुधार परियोजना' के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-

 1. इस योजना से करेल, मध्यप्रदेश, ओडिशा, तमिलनाडु, उत्तरप्रदेश, उत्तराखण्ड (छ:) राज्यों में 220 से अधिक चुनिंदा बड़े बाँधों के आधुनिकीकरण और पुनर्वास में मदद मिलेगी।
 2. केन्द्रीय जल संसाधन, नदी विकास तथा गंगा पुनर्जीवन मंत्रालय ने केन्द्रीय जल आयोग के द्वारा 2012 में 6 वर्षीय बाँध पुनर्वास तथा सुधार परियोजना की शुरूआत की थी।
उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सत्य है/हैं?
(a) केवल 1 (b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों (d) न तो 1, न ही 2
 6. कंट्री-बाई-कंट्री रिपोर्ट (CbC) के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-
 1. यह भारत और अमेरिका के बीच एक अंतर-सरकारी समझौता है।
 2. इसका उद्देश्य सीमा पार कर चोरी पर अंकुश लगाना है। साथ ही साथ व्यवस्था करना है कि सभी कर अधिकारियों के पास किसी बहु-राष्ट्रीय कंपनी के विषय में एक ही प्रकार की सूचना उपलब्ध हो सके।
उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सत्य है/हैं?
(a) केवल 1 (b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों (d) न तो 1, न ही 2

ANSWER KEY

16-28 फरवरी को दिए गए संभावित प्रश्न (प्रीलिम्स का उत्तर)....

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 1. | (d) | 2. | (c) | 3. | (c) | 4. | (b) | 5. | (c) | 6. | (d) | 7. | (c) | 8. | (a) | 9. | (c) | 10. | (b) |
| 11. | (c) | 12. | (d) | 13. | (a) | 14. | (d) | 15. | (b) | 16. | (c) | 17. | (c) | 18. | (b) | 19. | (c) | | |